



3

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-बैतूल

ग्लोकन- 5866/2018/बैतूल/भू.श. 1

1 श्रीमती अंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा  
निवासी-मलकापुर तहसील व जिला - बैतूल  
(म.प्र.)

2 श्रीमती मंजूलता पिता चन्द्रिका प्रसाद वर्मा  
निवासी - पुराना बच्चा जेल के पास टिकारी  
तहसील व जिला - बैतूल म.प्र.

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1- चन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री सालिक राम वर्मा  
निवासी - प्रताप वार्ड टिकारी तहसील व जिला  
बैतूल (म.प्र.)

2- अनिल पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

3- हरीश पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

4- मुकेश पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

5- ललिता पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा

सभी निवासी - ग्राम टिकारी तहसील व जिला  
बैतूल म.प्र.

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1424-पी.बी.आर/2017 निगरानी  
में पारित आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व  
संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

श्री. चन्द्रिका प्रसाद वर्मा  
द्वारा आज दि. 22-9-18 को  
प्रस्तुत! प्रारम्भिक चर्चा हेतु  
दिनांक 11.10.18 नियत।



राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर  
22/9/18

Chatodi  
22/9/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 5866/2018/बैतूल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.12.2018	<p>आवेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या</li><li>(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती, या</li><li>(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार।</li></ol> <p>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्रहय किया जाता है।</p> <p> सी 32</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	